

अनुदान संख्या 20 - रक्षा मंत्रालय
GRANT No. 20-MINISTRY OF DEFENCE

	कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:		
प्रभारित-	<i>Charged-</i>		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	24,00	5,08	-18,92
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>		
मूल	Original 6865,08,00		
पूरक	Supplementary 229,79,00	7094,87,00	6842,78,57 -252,08,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		166,44,03
पूंजीगत:	Capital:		
प्रभारित-	<i>Charged-</i>		
पूरक	<i>Supplementary</i>	40,00	. . -40,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		शून्य Nil
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>	781,51,00	287,68,44 -493,82,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		328,95,23

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, 4.00 लाख रु. का विनियोग मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - सामान्य सेवाएं" के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (25208.43 लाख रु.) मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 22979.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of Rs.4.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under Major Head "2052" - "Secretariat - General Services".

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.25208.43 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.22979.00 lakhs obtained in March,2008 and constituted 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/ excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"			
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services			
मू.	O.	71708.00		
			65059.34	64358.42
पु.	R.	-6648.66		-700.92
मुख्य शीर्ष "2037"	Major Head "2037"			
सीमा शुल्क	Customs			
मू.	O.	41479.00		
पू.	S.	322.00	43405.02	41320.00
पु.	R.	1604.02		-2085.02
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"			
पुलिस	Police			
मू.	O.	33443.00		
			37895.06	34423.11
पु.	R.	4452.06		-3471.95
मुख्य शीर्ष "2075"	Major Head "2075"			
विविध सामान्य सेवाएं	Miscellaneous General Services			
मू.	O.	537313.00		
पू.	S.	22657.00	544035.71	541782.24
पु.	R.	-15934.29		-2253.47
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"			
आवास	Housing			
मू.	O.	1321.00		
			1191.00	1184.67
पु.	R.	-130.00		-6.33

(I) मुख्य शीर्ष "2037" - "निवारक और अन्य कार्य - तटरक्षक संगठन" के अंतर्गत 41479.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 322.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 41801.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 481.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) पोटों

(I) Under Major Head "2037" - "Preventive and Other functions - Coast Guard Organisation" - the original provision of Rs.41479.00 lakhs was augmented to Rs.41801.00 lakhs by obtaining supplementary grant of

का मरम्मत कार्य शुरू किए जाने में विलंब होने, परियोजनाओं को मंजूरी न मिलने और विदेश यात्राओं के संबंध में जहाजों के खपत किए गए ईंधन के प्रति मैसर्स हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा वायुयानों की मरम्मत किए जाने के बिल प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष “2075” - “कैंटीन स्टोर विभाग - कैंटीन सेवा निदेशालय” के अंतर्गत 537313.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 22657.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 559970.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मूल्यवर्धित कर लगाए जाने से बिक्री में अधोमुखी प्रवाह आने की वजह से कैंटीन स्टोर विभाग के सामान/मदों की कम अधिप्राप्ति किए जाने और क्रय शक्ति पर आर्थिक सीमा लगाए जाने के संबंध में स्मार्ट कार्ड शुरू करने और आईसीडीएस चरण II परियोजना का कार्य पूरा न होने के कारण 18187.76 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष “2052” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “सचिवालय - रक्षा विभाग” - 380.04 लाख रु. की बचत (5555.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, लेखन सामग्री, कार्यालय उपस्करों के लिए पूर्ति आदेशों को मूर्तरूप न दिए जाने, सलाहकार समन्वयक (मास्को) से बिलों के प्राप्त न होने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(खा) “अन्य कार्यालय” -

(क) “रक्षा लेखा विभाग” - 6427.19 लाख रु. की बचत (58615.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, लेखन सामग्री/कार्यालय उपस्करों के लिए पूर्ति आदेशों के मूर्तरूप न लेने, क्रमावर्तित स्थानांतरणों की कम संख्या होने और क्षेत्रीय कार्यालय में यूपीएस के साथ-साथ ब्राडबैंड कनेक्शन लगाए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

Rs.322.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.481.00 lakhs (including supplementary grant) - due to delay in commencement of refit of ships, non-sanctioning of projects and non-submission of bills for servicing of Aircrafts by M/s Hindustan Aeronautics Limited towards fuel consumed by ships on foreign visits.

(II) Under Major Head “2075” - “Canteen Stores Department (CSD) - Directorate of Canteen Services” - the original provision of Rs.537313.00 lakhs was augmented to Rs.559970.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.22657.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.18187.76 lakhs - due to less procurement of Canteen Stores Department stores/items owing to downward trend of sales on account of imposition of value added tax by Govt. of Uttar Pradesh and introduction of Smart Cards imposing monetary limit on purchasing capacity and non-completion of work of ICDS Phase II project.

(III) Under Major Head “2052” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Secretariat - Department of Defence (DOD)” - saving of Rs.380.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5555.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-materilisation of supply orders for stationery, office equipments, non-receipt of bills from Counselor Coord (Moscow) and economy measures.

(B) “Other Offices” -

(a) “Defence Accounts Department (DAD)” - saving of Rs.6427.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.58615.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-materilisation of supply orders for stationery/ office equipments, less number of rotational transfers and delayed installation of UPS as well as broadband connection in the field office.

- (ख) “रक्षा संपदा संगठन” - 466.76 लाख रु. की बचत (6320.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जांच समिति द्वारा मंजूरी प्रदान किए जाने में विलंब होने की वजह से रिक्त पदों के न भरे जाने और लेखन सामग्री/कार्यालय उपस्कर के पूर्ति आदेशों के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।
- (b) “Defence Estate Organisation (DEO)” - saving of Rs.466.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6320.00 lakhs) was due to non-filling up of the vacant posts owing to delay in clearance by Screening Committee and non-materialisation of supply orders of stationery/office equipment.
- (IV) मुख्य शीर्ष “2216” - “साधारण पूल आवास - रख-रखाव और मरम्मत - अन्य रख-रखाव व्यय” के अंतर्गत 136.33 लाख रु. की बचत (1321.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इंजीनियरी प्राधिकारियों द्वारा कम प्रक्षेपण किए जाने के कारण हुई।
- (IV) Under Major Head “2216” - “General Pool Accommodation - Maintenance and Repairs - Other maintenance expenditure” - saving of Rs.136.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1321.00 lakhs) was due to less projections by engineering authorities.
- (V) एक शीर्ष के अंतर्गत 52.77 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 27 प्रतिशत थी।
- (V) Under one head saving of Rs.52.77 lakhs occurred constituting 27 percent of the sanctioned provision.
3. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष “2055” - “विशेष पुलिस - जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के संबंध में अदा किए गए प्रभार” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - 980.11 लाख रु. का अधिक व्यय (33443.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू तथा कश्मीर लाइट इन्फैंट्री सैन्य बलों के मंहगाई भत्ता और अन्य फील्ड भत्तों में वृद्धि होने के कारण हुआ।
3. The above savings were partly offset by excess under Major Head “2055” - “Special Police- Charges paid in respect of J & K Light Infantry (JAKLI)” - excess of Rs.980.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.33443.00 lakhs) was due to hike in dearness allowance and other field allowances in respect of JAKLI troops.
4. अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में, मार्च, 2008 में प्राप्त किया गया 40.00 लाख रु. का पूरक विनियोग मुख्य शीर्ष “4047” - “सीमा शुल्क - तटरक्षक संगठन” के अंतर्गत विलंब से स्वीकृति प्राप्त होने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।
4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, supplementary *appropriation* of Rs.40.00 lakhs obtained in March, 2008 remained wholly unutilised in one case under Major Head “4047” - “Customs – Coast Guard Organisation” – due to delay in receipt of sanction.
5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:-
5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4047" अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services			
मू.	O. 73521.00	41791.10	25537.61	-16253.49
पु.	R. -31729.90			
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works			
मू.	O. 2677.00	2566.15	2402.39	-163.76
पु.	R. -110.85			
मुख्य शीर्ष "4075" विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4075" Capital Outlay on Miscellaneous General Services			
पू.	S. 200.00	100.00	88.10	-11.90
पु.	R. -100.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing			
मू.	O. 1551.00	668.52	651.74	-16.78
पु.	R. -882.48			
मुख्य शीर्ष "7615" विविध कर्ज	Major Head "7615" Miscellaneous Loans			
मू.	O. 202.00	130.00	88.60	-41.40
पु.	R. -72.00			

(I) 0.20 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4047" - "सीमा शुल्क - तटरक्षक संगठन" के अंतर्गत 47983.39 लाख रु. की बचत (73521.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस्पात और एल्युमिनियम के विलंब से यार्ड में पहुंचने और चरण-VII अदायगियों के मामलों, विभिन्न स्कीमों को मंजूरी दिए जाने और संविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने तथा सैन्य इंजीनियरी सेवाओं द्वारा निविदा देने की प्रक्रिया में विलंब होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - निर्माण - रक्षा संपदा संगठन" के अंतर्गत 276.12 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न केंद्रों पर रक्षा संपदा संगठन परिसर के कार्यालय-सह-रिहायशी परियोजनाओं संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "4075" - "कैंटीन स्टोर विभाग - निर्माण" के अंतर्गत 111.90 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कैंटीन स्टोर विभाग के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से निधियों की मांग न किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - निर्माण" के अंतर्गत 850.56 लाख रु. की बचत (1501.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि विवादों के होने और बोर्ड की कार्यवाहियों और विभिन्न केंद्रों पर रक्षा संपदा संगठन परिसर के कार्यालय-सह-रिहायशी परियोजनाओं संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "7615" - "विविध कर्ज - यूनिट द्वारा चलाई जा रही कैंटीन के लिए कर्ज" के अंतर्गत 113.20 लाख रु. की बचत (201.80 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) यूनिट द्वारा चलाई जा रही कैंटीन से कर्ज की कम मांग किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.0.20 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) Under Major Head "4047" - "Customs-Coast Guard Organisation" - saving of Rs.47983.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.73521.00 lakhs) was due to delayed arrival of steel and aluminium in the yard and delay in cases of Stage-VII payments, sanctioning of various schemes and finalisation of contracts and tendering process by Military Engineering Services.

(III) Under Major Head "4059" - "Office Buildings - Construction - Defence Estate Organization" - saving of Rs.276.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-finalisation of the proposals for office-cum-residential projects of Defence Estate Organisation complex at various stations.

(IV) Under Major Head "4075" - "Canteen Stores Department-Construction" - saving of Rs.111.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-requisition of funds from any of the field offices of Canteen Stores Department.

(V) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing-Construction" - saving of Rs.850.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1501.00 lakhs) was due to land disputes and non-finalisation of Board proceedings and proposal for office-cum-residential projects of Defence Estate Organisation complex at various stations.

(VI) Under Major Head "7615" - "Miscellaneous Loans - Loans for Unit Run Canteens" - saving of Rs.113.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.201.80 lakhs) was due to less requisition of loans from the Unit Run Canteens.